# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
## पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या** – 12 / 2024 अपील (GCMS 2024/16)
**पंजीयन दिनांक**– 14.02.2024
**निर्णय दिनांक**– 13.05.2024

1. श्री मांगीलाल पिता धनराज खटीक, निवासी नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

–अपीलांट

**बनाम**

1. श्री भंवरसिंह पिता तुलछा खरवड, निवासी खरवडों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. पटवारी, पटवार हल्का मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर।
4. श्री भुनेश शाह पुत्र रसिकलाल शाह, निवासी 14, शिवजी नगर, उदियापोल, उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री कल्पित जैन | अधिवक्ता अपीलांट |
| 2. | श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक | अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 |
| 3. | श्री तरूण श्रीमाल | अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 |

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, मावली के प्रकरण 152 / 2023
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 01.12.2023

## निर्णय

दिनांक 13.05.2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 152 / 2023 निर्णय दिनांक 01.12.2023

के विरूद्ध दिनांक 05.02.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम खरवडों का गुडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 1641/56 रकबा 0.8741 हैक्टेयर मुझ प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में खातेदारी से दर्ज है। मुझ प्रार्थी को वक्त आवंटन से आराजी नम्बर 56 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूं, जिसके पडौस पूर्व में अन्य खातेदारों की भूमि, पश्चिम में आराजी नम्बर 56 की अन्य भूमि, उत्तर में आराजी नम्बर 56 की अन्य भूमि तथा दक्षिण में रास्ता स्थित है। उक्त पडौसान् के अनुसार प्रार्थी पूर्वजों के समय से मौके पर काबिज होकर कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहा है। राजस्व कार्मिकों की गलती की वजह से सेग्रीगेशन के समय जहां पर हम वर्तमान में कब्जे काश्त होकर काबिज है उक्त भूमि को कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में दर्शित नही कर अन्यत्र दर्शित कर दी गई है तथा वर्तमान में प्रार्थी के मौके पर काबिज भूमि को चरागाह एवं सामान्य कार्य हेतु दर्शा दी गई है। उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि पर वर्तमान कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 152/2023 निर्णय दिनांक 01.12.2023 से रेस्पपोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.12.2023 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खरवडों का गुडा, पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 1641/56 रकबा 0.8741 हैक्टेयर भूमि को राजस्व नक्शें में प्रार्थी के कब्जे अनुसार तहसीलदार, मावली द्वारा प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार, मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।"*

- उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कल्पित जैन उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर श्री तरूण श्रीमाल उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 06.05.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम धारा 96 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए बताया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे आराजी संख्या 56 वर्ष 1985 में आवंटित हुई थी एवं उक्त आराजी राजस्व ग्राम खरवडों का गुडा, पटवार हल्का मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर में आंवटित हुई थी

जिसके वर्तमान आराजी संख्या 1641/56 होकर क्षेत्रफल 0.8741 हैक्टेयर है, के संबंध में प्रकरण में तहसीलदार, मावली से रिपोर्ट मांगी गयी व रिपोर्ट के आधार पर बिना न्यायिक एवं सम्यक विश्लेषण किये अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर तरमीम किये जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2024 को पारित कर दिया गया, जो कि न्याय एवं विधि के सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थीं। उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मावली में प्रकरण प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है, इसलिये न्यायहित में उक्त निर्णय की अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान कराया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, किन्तु आलौच्य भूमि सार्वजनिक हित की है तथा इस सार्वजनिक हित की भूमि से प्रार्थी का हित भी जुडा हुआ है। यदि सार्वजनिक सूचना का आव्हान होता तो अवश्य ही प्रार्थी प्रक्रिया में भाग लेकर वस्तुस्थिति को प्रकट करता लेकिन आलौच्य निर्णय की जानकारी अभी दिनांक 25.01.2024 को हुई तथा जानकारी होते ही अपीलांट यह अपील प्रस्तुत कर रहा है, अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा दिनांक 01.12.2023 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।
- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त

नहीं है। विदित रहे कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विधि के अनुसार अपना निर्णय पारित किया है। जहां तक अपीलांट द्वारा कोई वाद उपखण्ड अधिकारी, मावली के न्यायालय में प्रस्तुत करने का संबंध है, उसकी कोई जानकारी उत्तरदाता रेस्पोडेंट को नही है, ना ही अपीलांट द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट अभिवचन अंकित किये गये है। विधित् धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत केवल व्यक्तिगत क्षति के आधार पर ही तृतीय पक्षकार द्वारा किसी आदेश की अपील प्रस्तुत की जा सकती है, प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सार्वजनिक हित के संबंध में कथन किये गये है, जबकि किसी भी व्यक्तिगत क्षति के संबंध में कोई अभिवचन अंकित नहीं किये गये है। यदि अपीलांट सार्वजनिक हित मांगता है तो उसे सिविल प्रक्रिया की धारा 91 के तहत लोकहित वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है, किन्तु उक्त आधार पर अपीलांट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः AIR 2020 SC Page 4038, AIR 2003 SC Page 1989, AIR 2020 SC Page 225, DNJ 2015 (2) Page 657, का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अब हम अपीलांट द्वारा दिये गये 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा धारा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन में यह वर्णित किया है अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मावली के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर रखा है तथा आलौच्य भूमि सार्वजनिक हित की है तथा इस सार्वजनिक हित की भूमि से प्रार्थी का हित भी जुडा हुआ है।

यदि सार्वजनिक सूचना का आव्हान होता तो अवश्य ही प्रार्थी प्रक्रिया में भाग लेकर वस्तुस्थिति को प्रकट करता।

- हमारे द्वारा अपीलांट के उक्त आवेदन व अपील मेमों के तथ्यों के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.12.2023 से मौजा खरवडों का गुड़ा, पटवार हल्का मांगथला की आराजी संख्या 1641/56 रकबा 0.8741 हैक्टेयर भूमि को राजस्व नक्शें में प्रार्थी के कब्जे अनुसार तहसीलदार, मावली द्वारा प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया है। प्रकरण में अपीलांट का यह कथन है कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मावली के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर रखा है तथा आलौच्य भूमि सार्वजनिक हित की है तथा इस सार्वजनिक हित की भूमि से प्रार्थी का हित भी जुडा हुआ है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार वर्णित भूमि खातेदार को जब आवंटन हुई तो नामांतरकरण संख्या 232 से नाम दर्ज हुआ। खातेदार के राजस्व नक्शें में तरमीम आराजी नम्बर 54 के दक्षिण दिशा में है, जबकि प्रार्थी भंवरसिंह पिता तुलछा का कब्जा आराजी नम्बर 54, 135 तथा दक्षिण दिशा में बिलोता की तरफ जाने वाले रास्ते के मध्य है। मौके पर खातेदार लगभग 50 वर्षो से काबिज है। वर्तमान में मौके पर खातेदार ने पत्थर की कोट बनाकर उपयोग कर रहा है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। अतः उक्त तहसीलदार, मावली की रिपोर्ट एवं रेकार्ड के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.12.2023 से पारित निर्णय मौजा खरवडों का गुड़ा, पटवार हल्का मांगथला की आराजी संख्या 1641/56 रकबा 0.8741 हैक्टेयर भूमि को राजस्व नक्शें में प्रार्थी के कब्जे अनुसार तहसीलदार, मावली द्वारा प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया है, उसमे किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं

है। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विधिक स्थिति के समर्थन में होने से इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही होने से तथा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं मानते एवं तद्नुसार अपीलांट का दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन खारिज किया जाता है एवं दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन खारिज हो जाने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर